FORM-7

[REGULATION-9]

Quarterly Progress Report for quarter ending 31st March of 2025 (Year)

I. PARTICULARS OF PROMOTERS	
Promoter's Registration Number/CIN No.	U45200BR2013PTC020682.
Name of the Promoter's Entity	SK BUILDERS AND COLONISER PVT. LTD.
Address of the Promoter's Entity :	5th FLOOR, S K PALACE, NEAR SAGUNA MORE, DANAPUR, PATNA Bihar 801503.
Total Experience of promoter in Real Estate Sector	11 Years of Experience.
Total Experience in Real Estate After commencement of RERA	7 Years
No of Project done Before commencement of RERA	1. Rajendra Smriti Enclave
No of Project done After commencement of RERA	1. Bhadra Raj Enclave 2. Rajdeo Enclave 3. Ishwar Chandra Enclave 4. Rajdeo Enclave Block – C 5. Patliputra City 6. Kaushal Kishor Heritage 7. Urmila Enclave 8. Sumitra Enclave

II. PARTICULARS OF PROJECT	
Project Registration Number	**BRERAP181528070325221229E00**
Name of Project	Maa Laxmi Heritage
Name of Promoter	SK BUILDERS AND COLONISER PVT. LTD.
Project Address	Plot No.- 115, Khata No.-60, Thana No.- 43, Thana- Danapur, Mauza Sandalpur, Tauzi No.- 5357, Dist- Patna, Bihar
Project Registration is valid up to	15/12/2024
Starting date of Project	22/12/2029
Type of Project	Residential/Group Housing
Name of the Competent Authority	PMAA

which sanctioned the project map	
Period of validity of map by the Competent Authority	Five Years from the date of passing of MAP

III. DISCLOSURE OF SOLD/BOOKED INVENTORY OF APARTMENTS

Building/Block Number	Apartment Type	Carpet Area (In Sqft)	Total Number of sanctioned apartments	Total Number of Apartments in Promoter's share–30		Total Number of Apartments in Landowner's share–26	
				Booked	AFS Executed	Booked	AFS Executed
Maa Laxmi Heritage	4 BHK	1273.00	8				
Maa Laxmi Heritage	3 BHK	1086.00	8				
Maa Laxmi Heritage	2 BHK	771.00	8				
Maa Laxmi Heritage	2 BHK	767.00	8				
Maa Laxmi Heritage	3 BHK	1062.00	8				
Maa Laxmi Heritage	3 BHK	1108.00	8				
Maa Laxmi Heritage	3 BHK	1043.00	8				
Total no.			56	0	0	0	0
Percentage of total Units				00% of total units	00% of total units	00% of total units	00% of total units

IV. DETAILS OF ASSOCIATION OF ALLOTTEES :

Mandatory in case the booking percentage exceeds 50% of the total sanctioned flats/plots/buildings/commercial space

Association of Allottee not be made because, booking percentage not exceeds 50% yet.

V. CANCELLATION OF FLAT ALLOTMENT, IF ANY WITH FLAT NUMBER/BUNGALOW /PLOT NO./OFFICE SPACE/SHOP/ETC.

(A) Cancelled by Allotees	(B) Cancelled by Promoters
No Any	**No Any**

VI. DISCLOSURE OF SOLD / BOOKED INVENTORY OF GARAGES/ PARKING SPACE		
Building Wise/ Block Number	**Total Number of Sanctioned Garages/ Parking Space**	**Total Number of Garages/Parking Space:** **1. Booked/Allotted -**
Maa Laxmi Heritage	56	0

VII. DETAILS OF BUILDING APPROVALS					
Already filed along with Registration Application					
S. No.	Name of the Approval / N.O.C./ Permission / Certificate	Issuing Authority	Validity Upto		Attach Copy
1.	Environment Clearance				
2.	Fire N.O.C.	Office of the State Fire Officer-Cum-Director, Bihar, Patna			Attached Below
4.	Airport Authority of India NOC				
5.	Water Supply Permission				
6.	Other Approval(s), if any, required for the Project.				

VIII. PROGRESS OF THE PROJECT – INTERNAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

In case of more than one Block/Building/Apartments/Plots/Bungalow, the details have to be filled for each Block separately

1. Plan Case No.- PMAA/PRN/SANDALPUR/DANAPUR/G+08/02/2023 (Maa Laxmi Heritage) (To beaded for each Building / Wing)

S. No. (1)	Tasks / Activity (2)	Percentage of Actual Work Done (As on date of the Certificate) (3)	Expected Completion date in (dd/mm/yyy) Format
1.	Excavation (if any)	**NA**	
2.	Basements (if any)	**NA**	
3.	Podiums (if any)	**NA**	
4.	Plinth	**0%**	31/10/2025
5.	Stilt Floor	**0%**	25/12/2025

6.	Slabs of Super Structure	**0%**	10/12/2027
7.	Internal walls, Internal Plaster, Floorings, Doors and Windows within Flats /Premises.	**0%**	15/09/2028
8.	Sanitary Fittings within the Flat/Premises, Electrical Fittings within the Flat/Premises	**0%**	20/03/2029
9.	Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level, Overhead and Underground Water Tanks.	**0%**	10/05/2029
10.	External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing.	**0%**	10/06/2029
11.	Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per prescribed norms.	**0%**	10/06/2029
12.	N.O.C, Electrical fittings, Mechanical Equipment, compliance to conditions of environment as per prescribed norms	**0%**	31/10/2029
13.	Finishing to entrance lobby/s plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per Specifications in Agreement of Sale. Any other activities.	**0%**	31/10/2029
14.	Overall Percentage of Actual Work Done and final completion date	**0%**	30/11/2029

IX. EXTERNAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS - PROGRESS RELATED TO AMENITIES AND COMMON AREA				
S. No.	Common Areas and Facilities	Proposed (Yes/No)	Percentage of actual Work Done (As on date of the Certificate)	Expected Completion date in (dd/mm/yyyy) Format
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Internal Roads & Footpaths	No	NA	
2.	Water Supply	Yes	0%	31/10/2029
3.	Sewerage (Chamber, Line, Septic Tank, STP)	Yes	0%	31/10/2029
4.	Storm Water Drains	No	NA	
5.	Landscaping & Tree Planting	No	NA	
6.	Street Lighting	No	NA	
7.	Community Buildings	No	NA	
8.	Treatment and Disposal of Sewage and Sullage Water	No	NA	
9.	Solid Waste Management & Disposal	No	NA	
10.	Water Conservation / RainWater Harvesting	Yes	0%	31/10/2029
11.	Energy Management	No	NA	
12.	Fire Protection and FireSafety Requirements	Yes	0%	31/10/2029
13.	Closed Parking	Yes	0%	31/10/2029
14.	Open Parking	No	NA	
15.	Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station	Yes	0%	31/10/2029
16.	Others (Option to AddMore)	No	NA	
17.	Overall Percentage of Actual Work Done and final completion date	Yes	**0%**	30/11/2029

X. EXTERNAL AND INTERNAL DEVELOPMENT WORKS IN CASE OF PLOTTED DEVELOPMENT
Not Applicable because our project is Residential/Group Housing.

XI. Financial Progress of the Project		
S.No.	**Particulars**	**Amount (in Rs.)**
1	Project Account No.	439005000931
2	Estimated Cost of the Project including land cost at the start of the Project	1330.00/- (in Lakh)
3	Estimated Development Cost of the Project at the	1190.00/- (In Lakh)

	start of the Project (Excluding Land Cost)	
4	Any Variation in Development Cost which is declared at the start of the Project	No Any
5	Amount received during the Quarter	00.00/-
6	Actual Cost Incurred during the Quarter	00.00/-
7	Net amount at end of the Quarter	00.00/-
8	Total expenditure on Project **till date**	19,54,000.00/-
9	Cumulative fund collected till the end of Quarter in question	00.00/-
10	Cumulative expenditure done till the end of Quarter in question	19,54,000.00/-
11	Percentage of Expenditure incurred of the total Estimated development cost of the project.	1.64 **%**

XII. DETAILS OF MORTGAGE OR CHARGE IF ANY CREATED/DETAILS OF LOAN TAKEN BY PROMOTERS AGAINST THE PROJECT, If any
No Any

XIII. GEO TAGGED PHOTOGRAPHS (EACH BLOCK/BUILDING/APARTMENTS/PLOTS/BUNGALOW) OF THE PROJECT The photograph must have date.		
(A)	**S. No.**	**Particulars**
	1.	**Photographs showing Front Elevation.-** Attached Below
	2.	**Photographs showing Rear Elevation.-** Attached Below
	3.	**Photographs showing Side Elevation (Both sides)** Attached Below
	4.	**Photograph of each floor showing the progress of interior works**
	5.	**Photograph of Common Areas (Staircase, Lift Area, Terrace, Parking, etc.)**
(B)		**Photograph of the display board set up at the project site providing requisite information along with the QR code of the project allotted by the Authority**

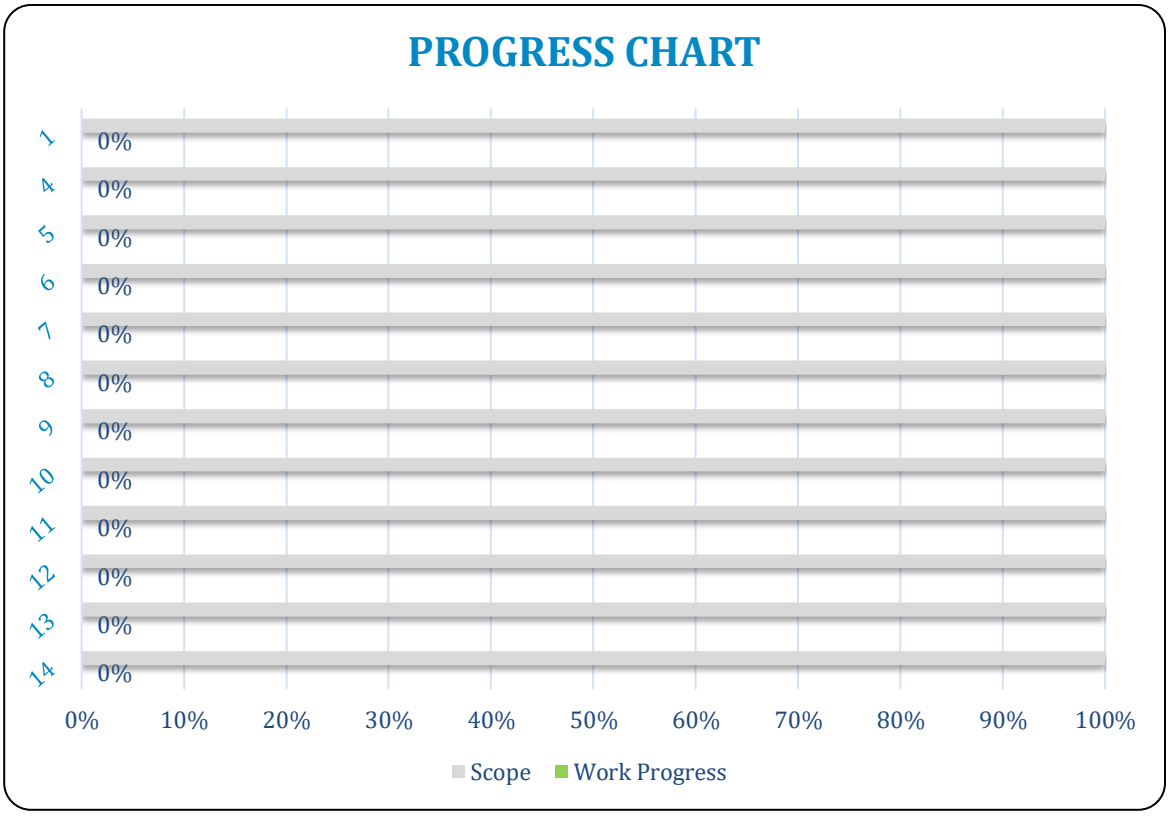
XIV. MISCELLANEOUS		
A	List of Legal Cases (if any) On Project / Promoter	
1.	(a) Case No. (b) Name of Parties Order Passed, if Yes , Whether complied (Yes/No)	NA

2.	No. of Execution Cases against this project (a) Case No. (b) Name of Parties Order Passed, if Yes , Whether complied (Yes/No)	NA
3.	No. of Suo - Moto cases against this project (a) Case No. (b) Name of Parties Order Passed, if Yes , Whether complied (Yes/No)	NA
4.	No. of Certificate cases /PDR cases against this project (a) Case No. (b) Name of Parties	NA

XV. PERCENTAGE OF WORK ALONG WITH MILESTONE CHART

a. Whether the project is in progress as per time schedule or lagging behind? Yes
b. If yes, whether it would be completed on the completion date fixed as per RC. Yes

If No, then Reason for delay: NA



XVI. Brochure - I wanted to inform you that the brochure for Project is currently being finalized. We've just received the Registration Certificate, and our team is working on completing it. We will submit it shortly.

XVII. Grievance Redressal Officer

Name:- PAVAN KUMAR
Contact No.- 9334852333
E. Mail- skbuildersgaurav@gmail.com
Address:- 2nd Floor, Surendra Complex Saguna More, Danapur Cantt, Danapur Patna Patna BR 801503 IN

Project Site Photographs



FIRE NOC:

File No.-02/2023

प्रपत्र-द्

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(9) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

S.K Builder & Coloniser Pvt. Ltd.
संडलपुर, पटना।

संदर्भ :- क्रमांक..1014.2..... दिनांक..05/06/2023.....
आवेदनकर्ता अभियंता, शैलेश रंजन (विशिष्ट आई.डी.नं0 BR/19/16)
विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण समिति (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता मे0 S.K Builder & Coloniser Pvt. Ltd. के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(ii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम S.K Builder & Coloniser Pvt. Ltd., प्लॉट नं0-115, खाता नं0-60, खाजी नं0-5357, थाना नं0-43, थाना-पालीगंज, मौजा-संडलपुर, जिला-पटना, आधिभोग आवासीय, उप श्रेणी आवासीय, भवन की ऊँचाई 26.93 (मीटर में), फर्श क्षेत्र 6686.85 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 8, तलघर की संख्या शून्य, स्टिल्ट/पुडल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 240, लिफ्ट की संख्या 1, फायर लिफ्ट की संख्या शून्य, रैम्प की संख्या शून्य, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या 1, फायर टावर की संख्या 1 है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना को स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 9.0 मी0, पश्चिम 18.75 मी0, पूर्व 5.60 मी0, दक्षिण 6.10 मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 2.29 (मीटर)/बाहरी सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 2.29 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ छोड़ा गया प्रस्तुत भवन उपविधि एवं अन्य सम्बंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन क्षेत्री एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ा हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 स्क्वेयर मीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिशाओं से अग्नि रूप से छह तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी ऊर्ध्व डक्ट का सीढ़ी स्थापित अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) **सीढ़ी :-**

(क) भवन का सीढ़ी क्षेत्र प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ई0/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी ओपन होगा जो सीढ़ी के फ्लोर सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के फ्लोर सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरों से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाले दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) छतपर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी छतपर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) **अग्नि सुरक्षा प्रणाली** :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमेयित भवन योजना अपेक्षित किया जाता है:-

(क) डोर रोल
(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (12 अदद)
(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम
(घ) इलेक्ट्रानिक विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
(च) स्प्रीकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 100000 लीटर
(ज) ओभर हेड वाटर टैंक 50000 लीटर क्षमता
(झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, As per NBC एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय-समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय-समय पर यथा संशोधित** अधुसूचित भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा । कुछ शर्तें निम्न प्रकार है :-

(क) <u>लिफ्ट</u> :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु इस्तांतरित परिवर्तनीय स्विच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होना कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेंटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट शॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि सर्कलर एवं पावर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि निर्वाहन कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 शुद्ध स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि निर्वाहन कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित में संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए पावर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक पावर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में संक्षिप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग वाल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्का अग्निशमन यंत्र, पावर चेक दरवाजा, इस्तचालित फॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन नियमित संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) वलपर में स्वचालित स्प्रींकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओवर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेंटेशन इस प्रकार होना कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के आलपास दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के छेदों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का कापर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings पर्याप्त रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावि सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का ऊपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रैलगीकरण/ग्रीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/ वलपर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर डिलीवर में आग लगने पर धुँआ

को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डेम्पर को एचवी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके ।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग लाईन में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवश्यक स्थापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी-एनबीसी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का एएमसी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का पेविंग वास्तुविद/चारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी अधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के बाद हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

1) मे0 अभियंता, शैलेश रंजन
2) अध्यक्ष, नगर निगम, पटना

5/6/25

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

Undertaking:

I/we solemnly affirm, declare and undertake that all the details stated above are true to the best of my/our knowledge and nothing material has been concealed here from. I am/we are executing this undertaking to attest to the truth of all the foregoing and to apprise the Authority of such facts as mentioned as well as for whatever other legal purposes this undertaking may serve.

Signature of Promoter

S.K. Builder's & Coloniser Pvt. Ltd.

Managing Director

Name: Pavan Kumar

Date : 15-04-2025